

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No.: 457976310519123018

Date : 31-05-2019

प्रभावी : 1 2016-2017

श्री/श्रीमती/सुश्री ADITYA KUMAR GHOSH S/O LATE PATIT PABAN GHOSH,

मोहल्ला GILAN PARA DUMKA DUMKA , 7991127887

DUMKA , 814101

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0160000650000A1 वार्ड सं. 16 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 73958/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	370.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		370.00



नोट:-

- 1 कर निर्धारण की सूची, DUMKA NAGAR PARISHAD Website, www.jharkhandsuda.net पर प्रदर्शित है।
- 2 नियमावली कोडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
- 3 प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान वैसासिक देय होगा।
- 4 यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
- 5 किसी देय घृति को मिटिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- 6 यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- 7 DUMKA NAGAR PARISHAD द्वारा संबन्धित इस सम्पत्ति कर इन इमरतों/घाँसों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- 8 अगर आपके नये होल्डिंग नं० का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

To be signed by the Applicant

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 457978310519123225

Date : 31-05-2019

प्रभावी : 1 2016-2017

श्री/श्रीमती/सुश्री NISITH GHOSH S/O LATE PATIT PABAN GHOSH,

मोहल्ला GILAN PARA DUMKA DUMKA , 8809918676

DUMKA , 814101

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0160000652000A1 वार्ड सं. 16 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 73958/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1	गृह कर	370.00
2	जल कर	0.00
3	शौचालय कर	0.00
4	बिजली कर	0.00
5	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		370.00



To be signed by the Applicant

नोट:-

- 1 कर निर्धारण की सूची, DUMKA NAGAR PARISHAD Website, www.jharkhandsuda.net पर प्रदर्शित है।
- 2 नियमावली कडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
- 3 प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान वैसासिक देय होगा।
- 4 यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घुति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
- 5 किसी देय घुति को निर्दिष्ट समयान्धि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- 6 यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य वास्तव पाए जाने पर नियमावली कडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- 7 DUMKA NAGAR PARISHAD द्वारा सयहित इस सम्पत्ति कर इन इमरतों/डांचों को कोई कानूनी हैतियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / टखलकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- 8 अगर आपके नये होल्डिंग न.ओ का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

Memo No : 457977310519123122

Date : 31-05-2019

पभावी : 1 2016-2017

श्री/श्रीमती/सुश्री ASHIT KUMAR GHOSH S/O LATE PATIT PABAN GHOSH,

मोहल्ला GILAN PARA DUMKA DUMKA , 8969578331

DUMKA , 814101

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0160000651000A1 वार्ड सं. 16 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 73786/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1	गृह कर	369.00
2	जल कर	0.00
3	शौचालय कर	0.00
4	बिजली कर	0.00
5	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		369.00



To be signed by the Applicant

नोट:

1. कर निर्धारण की गयी, DUMKA NAGAR PARISHAD Website, www.jharkhandsuda.net पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कंडिका 11.4 के अन्तर्गत वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से रहित पायें।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जायेगी।
5. किसी देय घृति को निदिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जाच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गस्तत पाए जाने पर नियमावली कंडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
7. DUMKA NAGAR PARISHAD द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमरतों/दाचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखतकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये होल्डिंग नं.ओ का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.